



## प्रेस नोट – जनपद फतेहगढ़ दिनांक:- 08.05.2023

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर के कुशल निर्देशन व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निकट पर्यवेक्षण एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अशोक कुमार मीणा के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री डॉ. संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के कुशलत नेतृत्व में कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नीमकरोरी स्टेशन मोड से मोहम्मदाबाद तिराहे की तरफ जाने वाले रास्ते पर 50 कदम दूरी पर बहद ग्राम शेखपुर खजुरी से एक नफर अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर राजेश राठौर पुत्र श्रीचन्द्र राठौर उम्र करीब 42 वर्ष निवासी मोहल्ला अग्रवाल थाना कोतवाली मैनपुरी जिला मैनपुरी को एक EICHER DCM नं0 UP84T7980 के साथ गिरफ्तार किया गया। ट्रक की तलाशी के दौरान 60 पेटी अवैध शराब जिसमे कुल 528 लीटर 480 ML बरामद हुई जिसमे जगाधरी ब्राण्ड की 32 पेटी अवैध देशी शराब प्रत्येक पेटी में 48 पौवा तथा प्रत्येक पौवा मे 180ML कुल 276 लीटर 480 ML व चार्ली माल्टा ब्रान्ड की 28 पेटी देशी शराब प्रत्येक पेटी में 12 बोतल तथा प्रत्येक बोतल मे 750 ML कुल 252 लीटर के साथ गिरफ्तार किया गया। थाना पर मु0अ0सं0 90/23 धारा 60/62/72 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### अभियुक्त का नाम पता-

राजेश राठौर पुत्र श्रीचन्द्र राठौर उम्र करीब 42 वर्ष निवासी मोहल्ला अग्रवाल थाना कोतवाली मैनपुरी जिला मैनपुरी

### अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 - 90/2023 धारा 60/62/72 आबकारी अधिनियम थाना को0 मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 - 24/2023 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 60/63 आबकारी अधिनियम थाना बक्शी का तलाब जनपद लखनऊ ।
3. मु0अ0सं0 - 304/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना को0 मैनपुरी जनपद मैनपुरी ।
4. मु0अ0सं0 - 689/2019 धारा 420 भादवि व धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना को0 मैनपुरी जनपद मैनपुरी ।

### बरामदगी का विवरण-

60 पेटी अवैध शराब जिसमे कुल 528 लीटर 480 ML जिसकी अन्तर्राज्यीय कीमत कुल 3,50,000 रुपये है

### गिरफ्तार करने वाली टीम , कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार चौबे
2. व0उ0नि0 मो0 अकरम
3. उ0नि0 श्री मोहित मिश्रा
4. का0 रामपति
5. का0 ललित कुमार
6. का0 शोभित चौहान
7. का0 सौरभ कुमार

### सर्विलांस सेल, जनपद फतेहगढ़

1. सर्विलांस प्रभारी उ0नि0 श्री जगदीश भाटी
2. का0 अनुराग सिंह

प्रेस नोट – जनपद फतेहगढ़



दिनांक:- 08.05.2023

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर के कुशल निर्देशन व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निकट पर्यवेक्षण एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अशोक कुमार मीणा के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री डॉ. संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद महोदय श्री अरुण कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना जहानगंज पुलिस द्वारा 05 नफर वांरटीयो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा उपनिरीक्षक श्री रामवीर सिंह मय चीता मोबाइल द्वारा अभियुक्त राम सिंह पुत्र बुद्ध सेन निवसी रठौरा मोहदीनपुर थाना जहानगंज को 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर सम्बन्धित के विरुद्ध मु0अ0सं-126/23 धारा -60 EX ACT पजीकृत कर अभियोग मे अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

1. शिव मंगल सिंह पुत्र रतीभान सिंह 64 वर्ष नि ग्राम रतनपुर थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ वाद संख्या बाद सं0 20/08 135 EC ACT
2. रमेश पुत्र नवाब सिंह 60 वर्ष नि रतनपुर थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ वाद संख्या बाद सं0 1449/22 धारा -3/4 GAMBLING ACT
3. रमेश पुत्र सुरेश चन्द्र बाथम 41 वर्ष निवासी हब्बापुर थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ वाद संख्या -1803 /17 धारा -147/332/353/504/506/171 ( ख) व 3(2) लोक प्रति अधि
4. नरेन्द्र पुत्र सच्चिन्द 60 वर्ष नि कझाना थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ सम्बन्धित वाद संख्या - 2883/17 धारा -323/504 IPC
5. सर्वेश पुत्र राम भरोसे 47 वर्ष निवासी – ग्राम झिझुकी थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ वाद संख्या -193 / 19 धारा -135( 1(A) EC ACT
6. राम सिंह पुत्र बुद्धसेन निवासी रठौरा मोहदीनपुर थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ उम्र-46 वर्ष सम्बन्धित मु0अ0सं-126/23 धारा -60 EX ACT

### गिरफ्तार करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राहुल सिंह
2. उ0नि0 श्री भभूती प्रसाद
3. उ0नि0 श्री रामवीर सिंह
4. HC शिव बहादुर सिंह
5. का0 खेमचन्द्र
6. का0 कुलदीप सिंह
7. का0 मंजीत सिंह
8. . का0 मुनवेन्द्र
9. का0 मनोज कुमार



